न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

(1)

फर्द अहकाम

मु.नं. 58/17 तारीख रजू 2-6-17

उनवान - रामस्वरूप बनाम तहसीलदार

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी

वादी की ओर से सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी पेश किया। जमाबन्दी व शपथपत्र का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब कर दिनांक 23-6-17 को पेश हो। 1961-62 / 2-6-17

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

23.6.17

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प गोरडा में पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। पैरोकार सरकार उप.। जवाब पेश किया कि ग्राम गोरडा की जमाबंदी सं. 2070-73 के खाता सं. 188 में दर्ज खातेदार रामसहाय S/o किशनलाल दर्ज थी साबिक जमाबंदी सं. 2030-33 के खाता संख्या 25 में वादी के पिता का नाम किशनलाल S/o श्योदान दर्ज थी किशनलाल की विरासत के बाद नामा. सं. 185 से मृतक किशनलाल के बजाय वारिसान रामबाबू जगन रामस्वरूप पि. किशनलाल का नोट अंकित थी जो सही है किन्तु जमाबंदी सं. 2034-37 के खाता संख्या 30 पर अमल करते समय सहवन से खातेदार रामस्वरूप के बजाय रामसहाय दर्ज कर दिया जो गलत है। वादी के दस्तावेजों के अनुसार उसका नाम रामस्वरूप थी जो

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभी

दिनांक	फर्द अहकाम
	सही ही मजमे आम में भी जांच की गई। वादी का सही नाम रामस्वरूप S/o किशनलाल ही बताया है इसलिए वादी का सही नाम रामस्वरूप दर्ज करने की अभिशंषा की है वादी वकील को सुना गया। रिकार्ड एवं जबाब सरकार का अवलोकन किया। वादी का नाम रामसहाय S/o किशनलाल के स्थान पर रामस्वरूप S/o किशनलाल दर्ज कराया जाना सही है यह प्रकरण घोषणा खातेदारी का न होकर इन्द्राज दुरुस्ती की श्रेणी के अन्तर्गत आता है अतः इन्द्राज दुरुस्ती के तहत आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.6.17 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। (जगदीश आर्य) उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner